Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 154 /2022

Nasir Miyan & Ors. .....Appellant

Versus

Sahubul Miyan & Ors. .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.11.2024	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज, अररिया द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–31/2021–22 मे दिनांक–18.06.2022 को पारित आदे" ा के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्ष उपस्थित। सुना। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–औराही, थाना नं0–23, खाता संख्या–2170, खेसरा–7397, रकवा–02.15 एकड़ विवादित भूमि है। प्र" नगत भूमि के भू–मालिक सोबराती मियां, पिता–स्व0 रौती मियां है तथा रोजित मियां द्वारा उक्त भूमि का जोत–आबाद बटाईदार के हैसियत से किया जा रहा था। रिविजन सर्वे के कार्रवाई के दौरान प्र" नगत जमीन कायमोदार के रूप में सोबराती मियां तथा सिकमीदार के रूप में रोजित मियां के नाम से दर्ज की गई। रोजित मियां द्वारा अपने जीवनकाल तक प्र" नगत भूमि का जोत आबाद किया जाता रहा। तदोपरांत उनके व" ाज द्वारा प्र" नगत जमीन अपने दखल में जोत आबाद किया जाता रहा। भू–मालिक सोबराती मियां के दो पुत्र–जैनुद्दीन मियां व नुरूद्दीन मियां हुए। जैनुद्दीन मियां की मृत्यु हो चुकी है। इनके तीन पुत्र उत्तरवादी संख्या–1 से 3 है। इनका आगे कथन है कि अपीलार्थीगण भूमिहीन व्यक्ति है तथा प्र" नगत जमीन ही उनके जीवनयापन का एक मात्र आधार है। उत्तरवादी बल" ाली एवं धनी व्यक्ति है। उनके द्वारा उत्तरवादीगण को प्र" नगत जमीन से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के अभाव में अपीलार्थीगण द्वारा अंचलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज के समक्ष कायमी हक के लिए वाद दायर किया गया, जिसमें अंचल अधिकारी एव अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। तदोपरांत उत्तरवादीगण द्वारा निम्न न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसमें अपीलर्थी को प्र" नगत जमीन पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया, जबकि अंचल अधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा अपीलार्थीगण क बटाईदारी हक को खारिज नहीं किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा प्र" नगत जमीन पर दखल के संबंध में कोई जाँच नहीं की गई तथा अंचल कर्मचारी एवं अंचल	

Web copy. Not official.

	<u>लगातार</u> 18.11.2024	**क्रमशः** निरीक्षक द्वारा वाद संख्या–27/2015–16 में किये गये स्थलीय जाँच जिसमें अपीलार्थीगण का दखल प्रतिवेदित किया गया है, को नजरअंदाज भी किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदे" । अवैध एवं गलत है। उक्त वर्णित तथ्यों को आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदे" । को निरस्त करते हुए अपील वाद को स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी ओर उत्तरवादी–1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्र" नगत जमीन के भू–मालिक मो0 सोबराती मियां, पिता–स्व0 रौती मियां है। मो0 सोबराती के दो पुत्र जैनुद्दीन मियां एवं नुरूद्दीन मियां हुए। उत्तरवादी–1 से 3 जैनुद्दीन के पुत्र है। नुरूद्दीन मियां द्वारा प्र" नगत खाता खेसरा से संबंधित रकवा–1.07½ एकड़ जमीन दिनांक–13.07.2017 को वसीयतनामा संख्या–191 द्वारा उत्तरवादी–1 से 3 के नाम से करते हुए दखल–कब्जा प्रदान किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा प्र" नगत खाता खेसरा के रकवा–1.07½ एकड़ भूमि पर कायमी हक प्राप्त करने के लिए अंचल अधिकारी, फारबिसगंज के न्यायालय में बी0टी0 एक्ट की धारा–48 'D' के तहत वाद संख्या–27/2015–16 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–25.05.2017 को पारित आदे" । में वाद को यह अंकित करते हुए खारिज किया गया कि भू–स्वामी के पास मात्र–2.15 एकड़ भूमि है तथा वे स्वयं बिहार सरकार की जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं। उक्त आदे" । में यह भी उल्लेखित है कि स्थानीय जाँचोपरांत पाया गया कि भू–स्वामी के पास वास्तव में खतियान में वर्णित रकवा 2.15 डी0 के अलावे अन्य कोई जमीन नहीं है। इस प्रकार भ्–स्वामी बिहार कास्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा–48 'C' में निर्धारित सोमा से कम जमीन धारित करते हैं। उक्त आदे" । के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा के न्यायालय में अपील वाद संख्या–6/2017–18 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–16.08.2019 को आदे" । पारित करते हुए अपील वाद को खारिज कर दिया गया। विद्वान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उक्त आदे" । में अंकित किया गया है कि दिनांक–01.08.2019 को उनके द्वारा स्वयं स्थलीय जाँच, उभय पक्षों एवं दो गवाह मो0 कफील एवं मो0 परवेज आलम की उपस्थिति में किया गया, जिसमें प्र" नगत जमीन वर्श 2017 से 48 डी0 तथा उत्तरवादीगण के दखल कब्जा में पाया गया। उन्होंने अपने आदे" । में यह भी अंकित किया कि उत्तरवादीगण को 55 डी0 गैर मजरूआ जमीन सरकार द्वारा बन्दोबस्त की गई। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किये गये स्थलीय जाँच से स्पश्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा बटाईदारी एवं दखल का गलत/झुठा दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्तरवादीगण द्वारा सरकार को प्र" नगत जमीन का वर्श 2021–22 तक लगान भी अदा किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर तार्किक एवं विधिसम्मत आदे" । पारित किया गया है। उक्त तथ्यों क आधार पर प्रस्तुत अपीलवाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थना उत्तरवादी संख्या–1 से 3 द्वारा की गई है।	

Web copy. Not official.

	<u>लगातार</u> 18.11.2024	उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत स्पश्ट है कि अंचल अधिकारी, फारबिसगंज एवं अनुमंडल **क्रमशः** पदाधिकारी, फारबिसगंज ने अपीलार्थी क कायमी हक के दावे को अस्वीकृत किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा दिनांक–01.08.2019 को किये गये स्थलीय निरीक्षण में प्र" नगत जमीन को परती एवं उत्तरवादीगण के दखल में पाया है। अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा बी0टी0 एक्ट के धारा 'D' के अंतर्गत दायर अपील वाद संख्या–06/2017–18 में अपीलार्थीगण के विरूद्ध आदे" ा पारित किया गया तथा अपीलार्थीगण उक्त आदे" ा के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अब तक वाद दायर नहीं किये है। इससे स्पश्ट है कि प्र" नगत जमीन पर अपीलार्थीगण का दावा निराधार एवं गलत है। उक्त स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदे" ा में किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आव" यकता प्रतीत नहीं होती है। प्रस्तुत अपील वाद को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web copy. Not official.

Web copy. Not official.